उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10
संख्या- 154 /2024/2764/24-10-27-10001(002)/12/2024
लखनऊ: दिनांक: 29 अक्टूबर, 2024

शुद्धि-पत्र

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-153/2024/2703/24-10-27-10001(002)/12/2024 दिनांक-18.10.2024 की तालिका के क्रमांक-1 पर अंकित अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह यादव, नवप्रोन्नत अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के नवीन तैनाती का स्थान 'केन्द्रीय परिकल्प यूनिट-1, लखनऊ' के स्थान पर **'केन बेतवा लिंक नहर परिकल्प इकाई-3, लखनऊ (यांत्रिक)'** पढ़ा जाए।

2- शासनादेश दिनांक 18.10.2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या:154/2024/2764(1)/24-10-27-10001(002)/12/2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव (श्री श्रीवास्तव), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. संबंधित मुख्य अभियन्ता, द्वारा-प्रमुख अभियंता (यां0) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी, द्वारा- प्रमुख अभियंता (यां0) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ई-9), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
9. सम्बन्धित अधिकारी, द्वारा- प्रमुख अभियंता (यां0) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।